



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 415]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर 2013—भाद्र 20, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. एफ ए-1-04-2013-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 में, विद्यमान शीर्षक छब्बीस तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“छब्बीस-सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.”.

(2) अनुसूची में,—

(क) विद्यमान शीर्षक “छब्बीस-सामाजिक न्याय विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“छब्बीस-सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.”.

(ख) इस प्रकार स्थापित शीर्षक छब्बीस के अधीन,—

(एक) भाग (इ) में, मद क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“1 संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.”.

(दो) भाग (ऊ) में, मद क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“1. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थापना.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-1-04-2013-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-1-04-2013-एक (1), दिनांक 11 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 11th September 2013

No. F -A-1-04-2013-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules,—

(1) In rule 2, for the existing heading “XXVI” and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

“XXVI. Social Justice and Disabled Persons Welfare.”.

(2) In the Schedule,—

(a) for the existing heading “XXVI-Social Justice Department”—the following heading shall be substituted, namely :—

“XXVI. Social Justice and Disabled Persons Welfare Department.”.

(b) under the heading XXVI as so substituted.—

(i) in Part (C), for item No. 1 and entry relating thereto, the following item and entry relating thereto shall be substituted, namely :—

“1. Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare.”;

(ii) in Part (F), for item No. 1 and entry relating thereto, the following item and entry relating thereto shall be substituted, namely :—

“1. Establishment of Class-I, II, III and IV Employees/ Officers of Social Justice and Disabled Persons Welfare.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.